



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या- 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल -dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.- 320, IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

दिशा-निर्देश सं०: / का० टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2024/

दिनांक: 12/07/2024

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विषय:- चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयक पूर्व में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्गत किये गये दिशा-निर्देश सं० 09/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019 दिनांक 13.02.2019 (संलग्न) के बिन्दु सं० 2(ii)-"सरकार द्वारा Approved अस्पताल" के अनुक्रम में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है, जो इस प्रकार है:-

यदि कोई कर्मचारी अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य की सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के इलाज के लिए अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा करवाता है एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्लेम करते समय सरकार द्वारा प्रदत्त Government Approval का प्रमाण पत्र या कोई इसके समान दस्तावेज़ जो कि सरकार द्वारा प्रदत्त हो एवं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अस्पताल सरकारी कर्मचारी के इलाज के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसके चिकित्सीय खर्च को Perquisite न मानते हुए कर मुक्त किया जाये।

संलग्नक:- यथोपरि।

(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

दिशा-निर्देश सं०: 231/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का०प्र० एवं प्रशा०, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उपसचिव (स० प्र० लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/पी०एम०यू०/वेतन एवं लेखा/लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स/जी.एस.टी. सेल Corporate Tax/GST Cell

कक्ष संख्या-320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल - dgmtaxuppl@gmail.com
Room No. - 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

पत्र सं० ०१ /उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019

दिनांक: 13 / 02 / 2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

आयकर अधिनियम, 1961 में आये नवीनतम संशोधनों के सम्बन्ध में।

आयकर अधिनियम, 1961 में आये निम्नलिखित संशोधनों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें-

- वित्तीय वर्ष 2019-20 से आयकर अधिनियम, 1961 के Section 87(A) के अन्तर्गत रु० 5,00,000/- तक की कर योग्य आय होने पर रु० 12,500/- तक की Rebate मिलगी, जो कि पूर्व में रु० 3,50,000/- तक की आय पर रु० 2,500/- मिलती थी।
- आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत करायी गयी चिकित्सा की इम्प्लायर द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति के विषय में निम्नलिखित प्रावधान है:-

आयकर अधिनियम, 1961 के Section 17(2)(VIII) के Proviso (i) एवं (ii) के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के चिकित्सीय खर्च Perquisite की परिभाषा से बाहर अर्थात् कर से Exempt है:-

- यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की OPD अथवा IPD चिकित्सा इम्प्लायर द्वारा Maintained अस्पताल में हुई हो।
- यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की OPD अथवा IPD चिकित्सा किसी सरकारी अस्पताल, किसी Local Authority द्वारा Maintained अस्पताल अथवा इस उद्देश्य से सरकार द्वारा Approved किसी अस्पताल में हुई हो तथा इसका भुगतान इम्प्लायर द्वारा अस्पताल को सीधे भुगतान के रूप में अथवा कर्मचारी को प्रतिपूर्ति के रूप में वहन किया गया हो।
- यदि Principal Chief Commissioner अथवा Chief Commissioner (Income Tax) द्वारा Approved अस्पताल में आयकर के Rule 3(A) (Annexure- A) में उल्लिखित रोगों के लिए कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य का इलाज हुआ हो तथा इसका भुगतान इम्प्लायर द्वारा अस्पताल को सीधे भुगतान के रूप में अथवा कर्मचारी को प्रतिपूर्ति के रूप में वहन किया गया हो। साथ ही Rule 3(A) से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु बीजक प्रस्तुत करते समय कार्मिक संबंधित अस्पताल से यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि चिकित्सा Rule 3(A) की बीमारी के लिए की गयी है तथा उक्त अस्पताल Rule 3(A) हेतु Principal Chief Commissioner अथवा Chief Commissioner (Income Tax) द्वारा Approved है।

यदि कर्मचारियों को भुगतान किया गया चिकित्सा प्रतिपूर्ति उपरोक्त तीन बिन्दुओं में आता है तो सम्पूर्ण चिकित्सा प्रतिपूर्ति आयकर से Exempt होगा। अन्यथा की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पूर्ण धनराशि कर्मचारी की आय का हिस्सा माना जायेगा एवं कर योग्य होगा।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण का परीक्षण उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में ही करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयकर अधिनियम, 1961 के Section 17(2) में प्राविधानित नियमों के अनुसार कर योग्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर ₹0 15,000/- की कटौती को समाप्त करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के Section 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹0 40,000/- का Standard Deduction अनुमन्य किया गया था जिसे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर ₹0 50,000/- कर दिया गया है।

अतः आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर योग्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी आय का ही हिस्सा है इसलिए कर योग्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर Perquisite के रूप में अब किसी भी प्रकार का Exemption नहीं होगा। अतः कर योग्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर भी आयकर अधिनियम, 1961 के Section 192 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर काटा जाना सुनिश्चित करें।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में यदि सम्बन्धित सेवा निवृत्त कर्मचारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान निगम के आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त किया जा रहा है परन्तु उक्त कर्मचारी पेंशन का भुगतान किसी अन्य स्थान (जैसे कि, कोषागार) से प्राप्त कर रहा है, ऐसी स्थिति में भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान करते समय निगम के आहरण वितरण अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 के Section 192 के प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले अपने दायित्वों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उचित होगा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी उनके समक्ष प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में कार्यालय ज्ञाप निर्गत करते समय उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रकरण उपरोक्त नियमानुसार आयकर से Exempt होगा अथवा उस पर आयकर अधिनियम, 1961 के Section 192 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर काटा जायेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2019-20 में लागू होने वाले TDS से संबंधित रेट **Annexure-B** में संलग्न है।
4. आयकर अधिनियम, 1961 के Section 40(A)(3) के अनुसार किसी एक व्यक्ति को एक दिन में नकद भुगतान करने की सीमा पूर्व में ₹0 20,000/- थी, जिसको वित्तीय वर्ष 2018-19 में घटाकर ₹0 10,000/- कर दिया गया है।
5. आयकर अधिनियम, 1961 के Section 269(ST) के अनुसार किसी एक ट्रांजेक्शन के संबंध में अथवा, एक व्यक्ति से एक दिन में अथवा, एक व्यक्ति से एक घटना/अवसर से संबंधित लेन-देन के सम्बन्ध में नकद भुगतान प्राप्त करने की सीमा को कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से ₹0 2,00,000/- कर दिया गया है।
6. वित्तीय वर्ष 2017-18 तक आयकर पर 2 प्रतिशत का Education Cess एवं 1 प्रतिशत का Secondary and Higher Education Cess लगता था, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 में हटाकर 4 प्रतिशत का Health and Education Cess लागू कर दिया गया है।

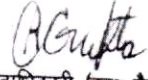
संलग्नक: - यथोपरोक्त


मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक (वित्त), मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
- 2- मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेषण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- उप महाप्रबन्धक परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध), महानगर, लखनऊ, को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अन्तर्गत आने वाली समस्त इकाईयों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
- 4- उप महाप्रबन्धक (सामान्य प्रशासन) / उप महाप्रबन्धक (कारपोरेट लेखा) / उप महाप्रबन्धक (सम्प्रेषण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैस्को, कानपुर।
- 6- अनुसचिव (स०प्र० लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान) / लेखाधिकारी (कै०भु०प्र०कोष्ठ) / लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम 409, चतुर्थ तल, शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक: यथोपरोक्त


लेखाधिकारी (का० टैक्स)

Annexure-A

Rule 3A of Income Tax Rules

The following are diseases and ailments classified under Rule 3A of Income Tax Rules. Diseases under rule 3A of income tax rules enjoy special exemptions under the Income Tax Act. For instance, expenditure incurred by an employer for an employee or his/her family for treatment of any of the diseases or ailments under Rule 3A are tax free perquisites in the hands of the employee.

Diseases and Ailments under Rule 3A of Income Tax Rules

The following diseases and ailments have been classified under Rule 3A.

1. Cancer
2. Tuberculosis
3. Acquired Immunity Deficiency Syndrome (AIDS)
4. Disease or ailment of the heart, blood lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary systems, liver, gallbladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring a surgical operation.
5. Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring a surgical operation.
6. Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment.
7. Gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention.
8. Ailment or disease of the organs mentioned in point 4, requiring medical treatment in a hospital for atleast three continuous days.
9. Gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for atleast three continuous days.
10. Burn injuries requiring medical treatment in a hospital for atleast three continuous days.
11. Mental disorder – neurotic or psychotic – requiring medical treatment in a hospital for atleast three continuous days.
12. Drug addiction requiring medical treatment in a hospital for atleast seven continuous days.
13. Anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for atleast three continuous days.

Medical Certificate for Rule 3A

Whenever benefits are claimed by a taxpayer while filing income tax return under Rule 3A, a medical certificate must be obtained and kept for records. The medical certificate must be issued by the hospital treating the disease or ailment, specifying the disease or ailment for which medical treatment was required and the receipt for the amount paid to the hospital.